HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3415/2026

1. Omprakash S/o Dhannaram, Aged About 51 Years, R/o Seva, P.s. Bardawa, District Deedwana-Kuchaman (Raj.) (Confined In Sikar Jail)
2. Birbal S/o Chiranjilal, Aged About 37 Years, R/o Near Hariram Baba Mandir, Pura Choti, P.s. Dhod, District Sikar (Raj.) (Confined In Sikar Jail)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Hemant Kankoriya
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Mr. Arpit Dotasra

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V.J.)

Judgment /Order

09/06/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना सदर सीकर, जिला सीकर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 20/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 329(3), 324(4), 76, 109(1), 307, 351(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वे दिनांक 28.01.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रार्थी/अभियुक्त बीरबल द्व ारा उक्त आपराधिक कृत्य किया गया हो, ऐसा तथ्य नहीं आया है। आहत ममता के शरीर पर आई चोटें प्राणघातक नहीं हैं और उसके शरीर के मार्मिक अंग पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचाई गई है। करीबन 6 माह से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। उनके

विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। 31 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होना शेष हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। दोनों पक्षों में जमीन के रास्ते को लेकर विवाद है और इस संबंध में परिवादी पक्ष को पुलिस थाना सदर सीकर ने धारा 126, 135 बीएनएसएस के अंतर्गत जमानत मुचलकों से पाबंद भी किया है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान् अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने आहत ममता के शरीर पर 5 चोटें पहुंचाई हैं, जिसमें से चोट संख्या 4 व 5 पैरों पर अस्थिभंग की चोट हैं। आहत ममता को जान से मारने की नियत से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने आरोपित कृत्य किया है। आहत ममता चिकित्सालय में भर्ती भी रही है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आहत ममता के शरीर पर कोई प्राणघातक चोटें नहीं हैं, न ही मार्मिक अंग पर कोई चोट है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण करीबन 6 माह से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। 31 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. ओमप्रकाश पुत्र धन्नाराम, 2. बीरबल पुत्र चिरंजी लाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती

न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V. J.)),J

MOHIT/ 17